राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांकः 25.04.2020

आदेश

विषयः लॉकडाउन कियान्विति समसंख्यक आदेश दिनांक 15.4.2020 में द्वितीय संशोधन।

भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनांक 21.04.2020 एवं 24.4.2020 के अनुसरण में लॉकडाउन कियान्वयन समसंख्यक आदेश दिनांक 15.4.2020 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैंः

1. **पार्ट ''ए. प्रतिबन्ध (2) निषिद्ध गतिविधियां'':**

''कम संख्या 10'' – ''शॉपिंग कॉम्पलेक्स'' के स्थान पर ''मार्केट कॉम्पलेक्स'' (जैसे, कि ''बाजार) किया जाता है।

2. **पार्ट ''सी. अनुमत गतिविधियां,** निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है (संवेदनशील स्थल एवं क्लस्टर्स के रोकथाम क्षेत्र के बाहर):

(1) पैरा ''3. दुकानें''

m. बिजली के पंखे की दुकानें

o. प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन के रिचार्ज के लिये आउटलेटस

p. छात्रों के लिये शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें

नोट : किताबों की दुकानों पर भीड को रोकने के लिये माता–पिता/छात्रों को पुस्तकों की होम डिलिवरी प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहिए :

- जिला प्रशासन द्वारा ऐसी दुकानों के साथ समन्वय स्थापित कर, होम डिलिवरी के लिये वाहनों को नियोजित करने हेतु अनुमति / पास जारी किये जाये।
- स्कूल/कॉलेज/अन्य शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेन्टर आदि भी इस प्रकिया में आवश्यक समन्वय करेंगे और पुस्तकों के लिये आदेश देने में सहायता करने के लिये ऐसी दुकानों के फोन नम्बर माता–पिता / छात्रों को दे सकते हैं।

विशेष रूप से सूचिबद्ध दुकानों की अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार की दुकानें भी खोली जा सकती हैंः

I- नगर निगम/परिषद/पालिका सीमा के भीतर भीतर :–

ऐसी सभी पंजीकृत दुकानें जिनकी प्रकृति (1) ''पडोस की दुकानें'' (जैसे कि आवासीय क्षेत्रों में और पास में यदि सीमित दुकानें है), (2)

स्टेण्ड–अलोन दुकानें (जैसे कि कोई अलग से दुकानें हो), लेकिन जो किसी मार्केट कॉम्पलेक्स (बाजार/शॉपिंग कॉम्पलेक्स भवन) का भाग नहीं है, के साथ (3) आवासीय परिसरों में दुकानें, श्रमिकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा दिनांक 15.4.2020 के आदेश में दिये गये निर्देशानुसार जैसे फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि अनिवार्य होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें बाजार परिसरों (बाजारों) और बहु-ब्राण्ड, एकल ब्राण्ड मॉल्स की दुकानें एंव वाणिज्यिक सडकों पर एक लाईन में दुकाने शामिल नहीं है।

II- नगरीय सीमा के बाहरः

सभी पंजीकृत दुकानें जिनमें मार्केट कॉल्पलेक्स (बाजार/शॉपिंग कॉम्पलेक्स बिल्डिंग) शामिल हैं, श्रमिकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा दिनांक 15.4.2020 के आदेश के अधीन अर्थात जैसे फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि अनिवार्य हागी।

इसमें बहु-ब्राण्ड एवं एकल ब्राण्ड मॉल्स की दुकानें शामिल नहीं है।

I एवं II के संदर्भ में यह और स्पष्ट किया जाता है कि ''दुकान'' शब्द से केवल सीमित ऐसे आउटलेट्स हैं, जो वस्तु और उत्पादों को बेचते हैं लेकिन जिनमें राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत अन्य प्रतिष्ठान जैसे रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, नाई की दुकान, सैलून, पार्लर्स आदि जो ''सेवाऐं'' प्रदान करते हैं, शामिल नहीं हैं। ऐसे प्रकरणों में दिनांक 15.4.2020 को जारी किये गये आदेश की शर्तें लागू होंगी।

3. पैरा ''9. कृषि, उद्यानिकी एवं संबद्ध गतिविधियां'':

निम्नलिखित को अतिरिक्त जोडा जाता है:

xii. निर्यात एंव आयात की सुविधाऐं जैसे पैक हाउस, बीज और बागवानी उत्पादन के लिये निरीक्षण और उपचार की सुविधा।

xiii. कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान

xiv. रोपण सामग्री और शहद मधुमक्खी कॉलोनी, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का अन्तरा/अन्तर्राज्यीय आवागमन

4. पैरा ''10. सामाजिक क्षेत्र''

निम्नलिखित को अतिरिक्त जोडा जाता है:

c. ''घरों में ही रहने वाले वरिष्ठ नागरिक को अटेन्डेन्ट एवं देखभाल करने वाले।''

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
10. निदेशक, सूचना एवं जन्सम्पर्क विभाग को प्रचार हेतु।

(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह